


हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
55 वीं बोर्ड बैठक का एजेण्डा



दिनांक: 14.06.2012

समय:— पूर्वाह्न 11:00 बजे

स्थान:— हरिद्वार विकास प्राधिकरण, सभागार

अनुक्रमणिका

क्र०सं०	मद संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	52 वीं बोर्ड बैठक की पुष्टि	कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या	1 से 10 तक
2	53 वीं बोर्ड बैठक की पुष्टि	कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या	11
3	54 वीं बोर्ड बैठक की पुष्टि	कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या	12
4	55 वीं बोर्ड बैठक मद सं० –01	हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2012–13 का प्रस्तावित आय–व्ययक। वित्तीय वर्ष 2011–12 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्राधिकरण का आय–व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	13 से 16 तक
5	55 वीं बोर्ड बैठक मद सं० –02	हरिद्वार महायोजना भाग (अ) के अधीन निर्धारित भू–उपयोग में विकास शुल्क की दरों के सम्बन्ध में।	17
6	55 वीं बोर्ड बैठक मद सं० –03	पर्यवेक्षण शुल्क की दरों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।	18
7	55 वीं बोर्ड बैठक मद सं० –04	हरिद्वार विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण सेवा संवर्ग के केन्द्रीयित तथा अकेन्द्रीयित अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पेंशन दिये जाने की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	19
8	55 वीं बोर्ड बैठक मद सं० –05	श्री बिहारी लाल पुत्र स्व० श्री गागन दास द्वारा ऋषिकेश के खसरा सं०-७४/७ मि० जिसका भू–खण्ड क्षेत्रफल 159.00 वर्ग मी० है, पर किये गये निर्माण को जिसका भू–उपयोग कार्यालय (G) के अन्तर्गत है, में व्यावसायिक/आवासीय निर्माण को शमन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	20
9	55 वीं बोर्ड बैठक मद सं० –06	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, प्राधिकरण अधिवक्ता (अनुबन्ध के आधार पर) के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	21
10	55 वीं बोर्ड बैठक मद सं० –07	प्राधिकरण गठन के पश्चात् विकसित अनाधिकृत कालोनियाँ जिनमें अधिकांशः भवन निर्मित हो चुके हैं में मानचित्र स्वीकृति/निर्मित भवनों को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।	22
11	55 वीं बोर्ड बैठक मद सं० –08	हरिद्वार महायोजना 2001 के अनुसार ऐसे क्षेत्र जिनका की भू–उपयोग कृषि/गैर आवासीय था किन्तु हरिद्वार महायोजना–2025 में उक्त क्षेत्रों का भू–उपयोग आवासीय हो गया है में वर्तमान भू–उपयोग के अनुसार मानचित्र स्वीकृति/निर्मित भवनों को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।	23
12	55 वीं बोर्ड बैठक मद सं० –09	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद	24

प्राधिकरण की 52 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02.11.2011 को आयोजित की गयी थी।

इस कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि

52 वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

प्राधिकरण की 52 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02.11.2011 की

अनुपालन आख्या :-

मद सं०	विषय	निर्णय	अनुपालन
46.मद संख्या-2	प्रस्तावित महायोजना 2006-2025 पर प्राप्त आपत्तियों/ सुझावों के सम्बन्ध में।	<p>प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना प्रारूप वर्ष 2006-2025 पर बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के फल में विस्तृत हरिद्वार महायोजना प्रारूप वर्ष 2006-2025 पर प्राप्त आपत्तियों/ सुझावों के सम्बन्ध में।</p> <p>(बिन्दु संख्या-9) शिवालिक नगर आवासीय योजनान्तर्गत ले-आउट स्तर के पार्कों का भू-उपयोग पार्क ही रखे जाने का निर्णय बैठक में सर्व सम्मति से लिया गया।</p> <p>(बिन्दु संख्या-12) हरिद्वार बाईपास से वैरागी कैम्प में स्थित घोड़ा पुलिस कैम्प की ओर जाने वाले मार्ग एवं नदी के मध्य के भाग में विद्यमान सम्पूर्ण भू-भाग को अद्विकृम मेला/कुम्भ मेला के दृष्टिगत भू-उपयोग कुम्भ मेला ही रखे जाने का निर्णय बैठक में सर्व सम्मति से लिया गया।</p> <p>बैठक में सर्व सम्मति से उपरोक्त दो संशोधनों के अनुमोदन के साथ ही विरिच नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा UDPFI गाईड लाइन के अनुसार दिये गये अन्य सुझावों पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त करते हुए महायोजना प्रारूप वर्ष 2006-2025 को शासन के स्वीकृति/अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में हरिद्वार महायोजना-2025 शासनादेश संख्या 944/V-2011-152(आ०)/2007 दिनांक 08.12.2011 के द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इसकी सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक हिन्दुस्तान के अंक दिनांक 09.12.11 में प्रकाशित करते हुए लागू की जा चुकी है। अतः प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त।</p>

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, की 55वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14-06-2012 का कार्यवृत्त।

प्राधिकरण की 55वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14-06-2012 को अध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के सभागार में आयोजित की गयी :-

बैठक की उपस्थिति :-

- श्री कुणाल शर्मा, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल
- श्री चन्द्रशेखर भट्ट, उपाध्यक्ष, हरिद्वार
- श्री सचिन कुर्बे शरदवन्द्रा, जिलाधिकारी, हरिद्वार
- श्री दीप शर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका ऋषिकेश
- श्री उत्तम सिंह चौहान, प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत बी०एच०इ०एल० हरिद्वार
- श्री जयपाल सिंह तोमर, विरिच कोषधिकारी हरिद्वार (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)
- श्री डी०के०सिंह, एसई० (प्रमुख सचिव पेयजल निगम के प्रतिनिधि)
- श्रीमती गरिमा रौकली, उप सचिव, आवास (प्रमुख सचिव, आवास के प्रतिनिधि)
- श्रीमती शालू थिन्ड एवं श्रीमती गीता खुब्बे (विरिच नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रतिनिधि)
- श्री पूर्णानन्द जोशी (अध्यक्ष, नगर पंचायत मुनिकारेती के प्रतिनिधि)

अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
पदन सदस्य	पदन सदस्य
पदन सदस्य	पदन सदस्य
पदन सदस्य	पदन सदस्य
पदन सहरप	पदन सहरप
पदन सदस्य	पदन सदस्य
पदन सदस्य	पदन सदस्य

सर्वप्रथम हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर भट्ट द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-

(1) प्राधिकरण की 52वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02-11-2011 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना एवं कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार पुष्टि की गई।

(2) प्राधिकरण की 53वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30-11-2011 (परिचालन विधि से) में लिये गये निर्णय की अनुपालना एवं कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार पुष्टि की गई।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

46.मद संख्या-3	ऋषिकेश महायोजना भाग—ब का प्रारूप (2011–2026) तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।	<p>प्रस्तावित ऋषिकेश महायोजना भाग—ब का प्रारूप वर्ष 2011–2026 को तैयार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से विचार—विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण रूपरूप सर्व आदि कार्य वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा UDPPFI गाइड लाइन के सुझाव के अनुरूप नवीनतम तकनीकी (Technology) से कराये जाने तथा नयी महायोजना तैयार/लागू होने तक पुरानी महायोजना यथावत लागू रखे जाने हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में शासनादेश संख्या 862/V-2011-146(आ०)/2009 दिनांक 8.11.11 के अनुसार पुरानी महायोजना नई महायोजना तैयार होने तक यथावत लागू माने जाने के आदेश प्राप्त हैं।</p> <p>नई महायोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार निविदा आदि प्राप्त कर उसकी स्वीकृति दिनांक 05.05.2012 में प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में कार्यालय पत्र संख्या 460, दिनांक 09.05.2012 द्वारा कार्यालय आदेश निर्गत करते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही की जा रही है।</p>
46.मद संख्या-4	हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत तीर्थ एवं पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने विषयक निर्णय के क्रम में बोर्ड द्वारा वॉचिट सूचना तैयार कराये जाने एवं तदनुसार आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाने के निर्देश दिये गये।	<p>हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत तीर्थ एवं पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने विषयक निर्णय के क्रम में बोर्ड द्वारा वॉचिट सूचना तैयार कराये जाने एवं तदनुसार आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में स्वीकृत आवासीय भवनों में चल रहे होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि की सूची तैयार कर ली गई है इस सम्बन्ध में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समझ विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>
46.मद संख्या-7	ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	<p>ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र को संशोधित किया जा चुका है। संशोधित तलपट मानचित्र के अनुसार व्यवसायिक, होटल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पम्प एवं ढाबा के 05 बड़े भूखण्डों को निविदा—सह नीलामी के माध्यम से विक्यय किया जा चुका है। शेष उपलब्ध भूखण्डों को पंजीकरण एवं निविदा—सह नीलामी के माध्यम से विक्यय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।</p>

(3) प्राधिकरण की 54वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09–04–2012 (परिचालन विधि से) में लिये गये निर्णय की अनुपालना एवं कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार पुष्टि की गई।

46(2) बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय के अनुपालन से सहमति व्यक्त की गयी तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।


46(3) बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय के अनुपालन से सहमति व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये ऋषिकेश महायोजना भाग—ब का प्रारूप वर्ष 2011–2026 को तैयार किये जाने की प्रगति से आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।


46(4) हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत तीर्थ एवं पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने विषयक निर्णय के क्रम में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त प्रकरण में वरिष्ठ नियोजक, ग्राम एवं नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड से विस्तृत परीक्षण कराकर सुझाव सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

49(5) हरिद्वार विकास प्राधिकरण में कार्यरत नियमित कार्मियों के लिए मोड़ीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACPS) के अनुरूप व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी उत्तराखण्ड शासन के आवास अनुभाग—2 के आदेश सं0–2160/V–2011–120(आ०)/2011 दिनांक 12–12–11 में उत्तिलिखित शासनादेश सं0–2225/VII–1/60–उद्योग–2011 दिनांक 30–11–2011 को बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से मोड़ीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACPS) को हरिद्वार विकास प्राधिकरण में तत्काल लागू किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

49(6) प्राधिकरण में नियमित कार्मियों को अंशदायी भविष्य निधि (सी०पी०एफ०) के अंशदान को 6.25 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से शासन के आवास अनुभाग—2 की अधिसूचना संख्या–2103/पॉच–आ०–2011–11(आ०)/2010 दिनांक 15 दिसम्बर 2011 को हरिद्वार विकास प्राधिकरण में उत्तरांचल शासन वित्त (सामान्य नियम–वेतन आयोग) अनुभाग—7 संख्या–21/XXVII(7) देहरादून दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 को लागू किये जाने हेतु अंगीकृत करते हुए अनुमोदित किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

49.मद संख्या-5	हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार में कार्यरत नियमित कर्मियों के लिए मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACPS) के अनुरूप व्यवस्था लागू किया जाना ।	हरिद्वार विकास प्राधिकरण में कार्यरत नियमित कर्मियों के लिए मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACPS) के अनुरूप व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा शासन को पुनः अनुस्मारक भेजने के निर्देश दिये गये ।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 2787, दिनांक 26 नवम्बर 2011 द्वारा शासन को पुनः अनुस्मारक भेजा गया। उक्त अनुस्मारक के कम में आवास अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2103/पैच-आ०-2011-11(आ) / 2010 दिनांक 15 दिसम्बर 2011 द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए प्राधिकरण में उक्त सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। उक्त अधिसूचना प्राधिकरण में लागू की जा चुकी है। अतः प्रकरण एजेंडा मद सं समाप्त।
49.मद संख्या-6	प्राधिकरणों में कार्यरत नियमित कर्मियों को अंशदायी भविष्य निधि (सी०पी०ए०फ०) के अंशदान को 6.25 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा शासन को पुनः अनुस्मारक भेजने के निर्देश दिये गये ।	प्राधिकरण में नियमित कर्मियों को अंशदायी भविष्य निधि (सी०पी०ए०फ०) के अंशदान को 6.25 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा शासन को पुनः अनुस्मारक भेजने के निर्देश दिये गये ।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 2786, दिनांक 26 नवम्बर 2011 द्वारा शासन को पुनः अनुस्मारक भेजा गया। उक्त अनुस्मारक के कम में आवास अनुभाग-2 की अधिसूचना 2103/पैच-आ०-2011-11(आ) / 2010 दिनांक 15 दिसम्बर 2011 द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए प्राधिकरण में उक्त सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। उक्त अधिसूचना प्राधिकरण में लागू की जा चुकी है। अतः प्रकरण एजेंडा मद सं समाप्त।
49.मद संख्या-7	श्री नारायण किशोर नौटियाल डाटा इन्ड्री आपरेटर से आशुलिपिक के पद पर पदस्थानापन्न/ समायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव न्यूनतम अर्हता पूर्ण किये जाने पर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये ।	श्री नारायण किशोर नौटियाल, डाटा इन्ड्री आपरेटर से आशुलिपिक के पद पर पदस्थानापन्न/ समायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव न्यूनतम अर्हता पूर्ण किये जाने पर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये ।	निर्णय के अनुपालन में सम्बन्धित को कार्यालय पत्र संख्या 2858 दिनांक 04.01.2011 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। श्री नौटियाल द्वारा अभी तक वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अभिलेख उपलब्ध कराने के पश्चात प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

3

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

51(1) हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2011-12 का प्रस्तावित आय-व्ययक सम्बन्धी अनुपालन से सहमति व्यक्त की गयी तथा प्रकरण एकेवा महं से समाप्त किये जाने के निर्णय दिये गये।

51(13) प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं हेतु आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्रावधान कर दूँ।

51(13) प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं हेतु आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्रावधान कर दूँ।

बैंक (Land Bank) की स्थापना हेतु तकाल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। बैंक में जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम हरिद्वार के पास 300 बीघा रिक्त भूमि उपलब्ध है तथा उस पर प्राधिकरण द्वारा ₹५०८८००००, आवासीय एवं व्यावसायिक कालेनी विकसित की जा सकती है जिस पर बोर्ड द्वारा एक समिति गठित करने के निर्देश दिये गये। उक्त समिति में जिलाधिकारी हरिद्वार, उपायशास्त्री हरिद्वार विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर अधिकारी/सहायक नगर अधिकारी, नगर निगम एवं अधिवासी अभियन्ता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण सदस्य होंगे। उक्त समिति नगर निगम की भूमि प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने सम्बन्धी समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए अपनी आख्या आगामी बोर्ड बैंक में प्रस्तुत करेगी।

52(3) हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत आरक्षित 16 आश्रय भवनों को विक्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बैठक में विस्तार से चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम हरिद्वार द्वारा सार्वजनिक भूमि से हटाये गये अतिक्रमणकारियों के आवंटन वैत सिवायमानसार कार्यवाही की जाय। प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

Secretary

S
Vice Chairman

[Signature]
Chairman/Commissioner

49.मद संख्या—11	श्री राजीव जैन पुत्र श्री सुमेर चन्द जैन, निदेशक, बिंदल टैक्स फैब्रिलिंग, ग्राम एतमलपुर बोगला, जिला— हरिद्वार के भू—उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन	श्री राजीव जैन पुत्र श्री सुमेर चन्द जैन, निदेशक, बिंदल टैक्स फैब्रिलिंग, ग्राम एतमलपुर बोगला, जिला— हरिद्वार के भू—उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन	निर्णय के अनुपालन में अवगत करना है कि सदर्भित प्रकरण हरिद्वार महायोजना 2001 के अन्तर्गत भू उपयोग कृषि से व्यवसायिक परिवर्तन का प्रकरण था। वर्तमान में हरिद्वार महायोजना—2025, दिनांक 09.12.2011 से प्रभावी हो चुकी है। जिसमें उक्त भूमि का भू उपयोग कृषि से व्यवसायिक हो गया है। अतः प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त।
49.मद संख्या—13	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।		
(13)3	हरिद्वार विकास प्राधिकरण के क्षेत्र को रत्मऊ नदी तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा ग्राम प्रधानों/जनप्रतिनिधियों की राय प्राप्त करते हुए तदनुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	बोर्ड द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, दैनिक अमर उजाला, दैनिक शाह टाईम्स के अंक दिनांक 10.12.11 में आपत्ति/सुझाव प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भीतर आमंत्रित किये गये थे। उक्त अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। तदोपरान्त हरिद्वार विकास क्षेत्र को रत्मऊ नदी तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध प्रस्ताव यथोचित संलग्नकों सहित कार्यालय पत्र संख्या 3574 प्रशासी/2(क) 22/84/2010-11 के द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है। वरिष्ठ नियोजक को भी कार्यालय पत्र संख्या 4153 दिनांक 19.03.2012 के द्वारा समुचित कार्यवाही की जानकारी से अवगत कराया गया है। वरिष्ठ नियोजक द्वारा अपने पत्र संख्या 617 दिनांक 29.03.2012 के द्वारा क्षेत्र को हरिद्वार विकास क्षेत्र में समीक्षित किये जाने की सन्स्तुति की गयी है। शासन स्तर से रवीकृति अपेक्षित है।	

51.मद सं-01	हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2011-12 का प्रस्तावित आय-व्ययक। वित्तीय वर्ष 2010-11 का वार्ताविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित आय-व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2011-12 का प्रस्तावित आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा बजट के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त समझा जाय।	निर्णय के अनुपालन में बजट के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
51.मद सं-09	ग्राम सलेमपुर महदूद-2 जिला हरिद्वार के खसरा नं-1514 रक्षा 0.349 हैवटेयर को कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	ग्राम सलेमपुर महदूद-2 जिला हरिद्वार के खसरा नं-1514 रक्षा 0.349 हैवटेयर को कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तित करने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि संदर्भित प्रकरण हरिद्वार महायोजना 2001 के अन्तर्गत कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग परिवर्तन का प्रकरण था। वर्तमान में हरिद्वार महायोजना-2025, दिनांक 09.12.2011 से प्रभावी हो चुकी है। जिसमें भू उपयोग कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तित हो गया है। अतः प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।
51.मद सं-10	ग्राम सलेमपुर महदूद-2 के खसरा नं-1535 एवं 1537 का भू-उपयोग कृषि से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।	ग्राम सलेमपुर महदूद-2 के खसरा नं-1535 एवं 1537 का भू-उपयोग कृषि से व्यवसायिक किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा वरिष्ठ नियोजक की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त प्राधिकरण की स्पष्ट संस्तुति/अभिमत सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि संदर्भित प्रकरण हरिद्वार महायोजना 2001 के अन्तर्गत कृषि से व्यवसायिक भू उपयोग परिवर्तन का प्रकरण था। वर्तमान में हरिद्वार महायोजना-2025, दिनांक 09.12.2011 से प्रभावी हो चुकी है। जिसमें भू उपयोग कृषि से व्यवसायिक है। अतः प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।
51.मद सं-13	प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं हेतु आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्राधिकरण का भूमि बैंक (Land Bank) की स्थापना हेतु तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं हेतु आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्राधिकरण का भूमि बैंक (Land Bank) की स्थापना हेतु तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र के माध्यम से किया गया। भूमि विक्रय हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का परीक्षण करते हुए अधिमं कार्यवाही की जा रही है।

52.मद सं0-01	वर्तमान में प्रचलित ऋषिकेश महायोजना 2011 को नई महायोजना आने तक यथावत् लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	वर्तमान में प्रचलित ऋषिकेश महायोजना 2011 को नई महायोजना आने तक यथावत् लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से विचार-विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय।	शासनादेश संख्या 862 /V-2011-126(आ0) /2009 दिनांक 08.11.11 के अनुसार नई ऋषिकेश महायोजना लागू होने तक प्रभावी महायोजना यथावत् लागू रहने के आदेश निर्मात किये गये हैं। अतः प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
52.मद सं0-02	ट्रांसपोर्ट नगर योजना में आरक्षण वर्ग के रिक्त भूखण्डों को सामान्य वर्ग के आवेदकों को नीलामी-सह निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	ट्रांसपोर्ट नगर योजना में आरक्षण वर्ग के रिक्त भूखण्डों को सामान्य वर्ग के आवेदकों को नीलामी-सह निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	निर्णय के अनुपालन में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को शहर से योजना में विस्थापित किये जाने हेतु पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। योजना के मूल उद्देश्य को बनाये रखने हेतु जिन ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को योजना में भूखण्डों का आवंटन हो चुका है तथा जिनके द्वारा भूखण्ड मूल्य से सम्बन्धित पूर्ण धनराशि जमा करा दी गयी है उनमें से 45 आवटियों को भूखण्डों का कब्जा प्रदान किया जा चुका है शेष रिक्त भूखण्डों को आवटित करने तथा आवटित भूखण्डों का कब्जा ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को प्रदान करने हेतु यथा सम्भव प्रयास जारी है। अतः प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त है।
52.मद सं0-03	हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत अरक्षित 16 आश्रय भवनों को विक्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बैठक में विस्तार से चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम हरिद्वार द्वारा सार्वजनिक भूमि से हटाये गये अतिक्रमणकारियों को आवटन किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाय।	हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत अरक्षित 16 आश्रय भवनों को विक्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बैठक में विस्तार से चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम हरिद्वार द्वारा सार्वजनिक भूमि से हटाये गये अतिक्रमणकारियों को आवटन किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाय।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 2994, दिनांक 15 दिसम्बर 2011 द्वारा प्रशासक नगर निगम हरिद्वार को संदर्भित कराया गया। उक्त पत्र के कम में नगर निगम हरिद्वार ने अपने पत्र संख्या 1376 /नि0वि0/2011-12 दिनांक 16.01.2012 द्वारा यह अवगत कराया है कि नगर निगम हरिद्वार द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी अवैध कब्जाधारी को नहीं हटाया गया है। नगर निगम की भूमि पर जिन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उनकी सूची तैयार की गयी है उन्हें हटाने की कार्यवाही नहीं की गयी है तथा हटाये गये अतिक्रमण कलाओं की कोई सूची अप्राप्य है। अतः उक्त भवनों को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

52.मद सं0-04	हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत आवंटित 15 आश्रय भवनों के डिफाल्टर आवंटियों के आवंटन निरस्तीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बैठक में विस्तार से चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे डिफाल्टरों से अवशेष धनराशि की वसूली हेतु और अधिक प्रयास किये जाने के निर्देश दिये गये।	हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत आवंटित 15 आश्रय भवनों के डिफाल्टर आवंटियों के आवंटन निरस्तीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बैठक में विस्तार से चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे डिफाल्टरों से अवशेष धनराशि की वसूली हेतु और अधिक प्रयास किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय स्तर से कार्यवाही करते हुए हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत आवंटित 15 आश्रय भवनों के डिफाल्टर आवंटियों को अवशेष धनराशि जमा कराये जाने हेतु सूचित किया जा चुका है। कुछ आवंटियों द्वारा धनराशि जमा की गई है। कुछ आवंटियों के पते की जानकारी नहीं मिल पाने के कारण नोटिस भवनों पर चर्चे किये गये हैं। धनराशि जमा किये जाने की प्रतीक्षा की जा रही है।
52.मद सं0-05	प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों एवं भवनों की लीज हस्तांतरण के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों एवं भवनों की लीज हस्तांतरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बैठक में विस्तार से चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को शासन को सन्दर्भित किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 2995, दिनांक 15 दिसम्बर 2011 द्वारा शासन को सन्दर्भित कराया गया। शासन से निर्णय अपेक्षित है।
52.मद सं0-06	श्री विहारी लाल पुत्र स्व0 श्री गगन दास द्वारा ऋषिकेश के खसरा सं0-74/7 मि0 जिसका भू-खण्ड क्षेत्रफल 159.00 वर्ग मी0 है, पर किये गये निर्माण को जिसका भू-उपयोग कार्यालय(जी) के अन्तर्गत है, में व्यावसायिक/आवासीय निर्माण को शमन स्थीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के स्पष्ट संस्कृति/अभिमत सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	श्री विहारी लाल पुत्र स्व0 श्री गगन दास द्वारा ऋषिकेश के खसरा सं0-74/7 मि0 जिसका भू-खण्ड क्षेत्रफल 159.00 वर्ग मी0 है, पर किये गये निर्माण को जिसका भू-उपयोग कार्यालय(जी) के अन्तर्गत है, में व्यावसायिक/आवासीय निर्माण को शमन स्थीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के स्पष्ट संस्कृति/अभिमत सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में सन्दर्भित प्रकरण में विस्तृत रिपोर्ट सहित प्रस्ताव प्राधिकरण की 55वीं बोर्ड बैठक के मद सख्ता 05 में अलग से रखा गया है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।

52(4) हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत आवंटित 15 आश्रय भवनों के डिफाल्टर आवंटियों के आवंटन निरस्तीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बैठक में विस्तार से चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे डिफाल्टरों से अवशेष वसूली आर0सी0के माध्यम से करायी जाय तथा वसूली की प्रगति रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

52(5) प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों एवं भवनों की लीज हस्तांतरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर शासन से निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाय तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

52(6) दुर्बल आय वर्ग भवनों के आवंटन में विद्यायक, सांसद व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एवं राज्य सरकार के कार्मिकों एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिकों (जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों) को देय आकाश सम्बन्धी प्रस्ताव पर शासन से निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाय तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

52(9) चन्द्राचार्य चौक के विकास के मध्य शंकर आश्रम से भगत सिंह चौक की ओर से भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के साथ बन रहे ब्लाइंड कर्व को दर्शित (Visual) करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को कुल 8.00 वर्ग मी0 भूमि हेतु कुल रु0 2.54 लाख तथा विक्रय विलेख के निष्पादन पर होने वाले व्यय भार की स्वीकृति एवं बाउन्सीवाल को तोड़कर उसके पुर्णनिर्माण आदि का कार्य चन्द्राचार्य चौक निर्माण हेतु गठित अनुबन्ध के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने पर सहमति दी गयी तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

52(11) अध्यक्ष की अनुमति से बैठक में मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा अवस्थापना विकास निधि मद में संचयित धनराशि पर आयकर लगाये जाने सम्बन्धी बिन्दु पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि आईटीएसटी दिल्ली में दायर अपील की प्रगति से आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाय।

55(01) वित्तीय वर्ष 2011-12 का वास्तविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु प्रस्तावित आय-व्ययक पर बैठक विस्तार से चर्चा हुई चर्चा के दौरान कुछ मदों में सशोधन के साथ बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से वित्तीय वर्ष 2011-12 का वास्तविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु प्रस्तावित आय-व्ययक को अनुगमित किया गया तदनुसार संशोधित आय-व्यय संलग्न है।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

52.मद सं0-07	<p>डा० डी०के० श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री वैधनाथ प्रसाद आदि द्वारा ग्राम वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश के खसरा नम्बर-९१(क) मि० जिसका भू-उपयोग कार्यालय है, में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।</p>	<p>डा० डी०के० श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री वैधनाथ प्रसाद आदि द्वारा ग्राम वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश के खसरा नम्बर-९१(क) मि० जिसका भू-उपयोग कार्यालय है, में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के स्पष्ट संस्कृति/अभिन्नत सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में विस्तृत आख्या लेकर उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण की 54वीं बोर्ड बैठक परिचालन विधि से दिनांक 09.04.2012 को अनुमोदित किया गया। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
52.मद सं0-08	<p>दुर्बल आय वर्ग भवनों के आवंटन में विधायक, सांसद व स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी एवं राज्य सरकार के कार्मिकों एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिकों (जो ५० वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों) को देय आरक्षण के संबंध में :-</p>	<p>दुर्बल आय वर्ग भवनों के आवंटन में विधायक, सांसद व स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी एवं राज्य सरकार के कार्मिकों एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिकों (जो ५० वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों) को देय आरक्षण के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण सर्व सम्मति से प्राधिकरण के स्पष्ट संस्कृति/अभिन्नत सहित शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 4248 दिनांक 27.03.2012 द्वारा प्रकरण शासन को सदर्भित किया जा चुका है।</p>

52.मद
सं०-०९

चन्द्राचार्य चौक के विकास के मध्य शंकर आश्रम से भगत सिंह चौक की ओर मुड़ने हेतु बन रहे कर्व को दर्शित (Visual) करने के लिए भारतीय जीवन वीमा निगम की भूमि में से 32 वर्ग मी० भूमि को अधिग्रहित /आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त सड़क का निर्माण जनहित में प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। अतः जनहित में जिलाधिकारी के मायम से उक्त भूमि अधिग्रहण किये जाने के प्रयास किये जाय तदनुसार प्रस्ताव पर निर्णय हेतु अधिकार अध्यक्ष/आयुक्त में निहित रहेंगे।

चन्द्राचार्य चौक के विकास के मध्य शंकर आश्रम से भगत सिंह चौक की ओर से भारतीय जीवन वीमा निगम कार्यालय के साथ बन रहे ब्लाइड कर्व को दर्शित (Visual) करने के लिए भारतीय जीवन वीमा निगम की भूमि में से 32 वर्ग मी० भूमि को अधिग्रहित /आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त सड़क का निर्माण जनहित में प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। अतः जनहित में जिलाधिकारी के मायम से उक्त भूमि अधिग्रहण किये जाने के प्रयास किये जाय तदनुसार प्रस्ताव पर निर्णय हेतु अधिकार अध्यक्ष/आयुक्त में निहित रहेंगे।

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित किया गया था। अधिग्रहण के कठिपय कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये कार्यालय पत्र संख्या 2504 दिनांक 22.10.11 में L.I.C हरिद्वार को कुल 8.00वर्ग मी० भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। भारतीय जीवन वीमा निगम लिंग हरिद्वार द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.11.11 के द्वारा मुआवजे की जानकारी चाही गयी। कार्यालय पत्र संख्या 2894 दिनांक 07.12.11 के द्वारा उक्त भूमि हेतु कुल मुआवजा रु. 1,37,200.00 की जानकारी L.I.C हरिद्वार को प्रेषित की गयी। उक्त के क्रम में L.I.C हरिद्वार द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.04.2012 के द्वारा कुल 8.00वर्ग मी० भूमि उपलब्ध कराने की सहमति देते हुये वर्तमान सर्किल दर के आधार पर मुआवजे की मांग की गयी है। साथ ही उनके द्वारा निर्मित बाउन्डीवाल को पुर्णनिर्मित करने तथा बाउन्डी को साथ बिछी पानी व सीवर की लाईन क्षतिग्रस्त होने की दशा में उसे पुर्णनिर्मित करने की मांग की गयी है। वर्तमान में लागू सर्किल दर के अनुसार 8.00 वर्ग मी० भूमि का मूल्य रु. 2,54,000.00 होता है।

अतः प्रस्ताव है कि:-

- भारतीय जीवन वीमा निगम को कुल 8.00 वर्गमी० भूमि हेतु कुल रु. 2,54,000.00 के भुगतान तथा विक्रय विलेख के निष्पादन पर होने वाले व्यय भार की स्वीकृति।
- L.I.C हरिद्वार द्वारा निर्मित बाउन्डीवाल को तोड़कर उसको पुर्णनिर्माण आदि का कार्य चन्द्राचार्य चौक के निर्माण कार्य हेतु गठित अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्यवाही करने की स्वीकृति।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ/ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

52.मद सं0-10 :	शमन हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल के निर्धारण के सम्बन्ध में।	शमन हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल के निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के स्पष्ट सस्तुति/अभिमत सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में शासन द्वारा जारी शासनादेश सख्ता 2010 / V-2011-55(आ०) / 2006-टी०सी० आवास अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून दिनांक 17-11-2011 के द्वारा जारी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 उत्तराखण्ड में भवन स्थीकृति हेतु चूनातम क्षेत्रफल का उल्लेख कर दिया गया है। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त किया जाता है।
52.मद सं0-11 :	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद		
52.मद सं0-11 (01) :	अवस्थापना विकास निधि मद में संचित धनराशि पर आयकर लगाये जाने सम्बन्धी	अध्यक्ष की अनुमति से बैठक में मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा अवस्थापना विकास निधि मद में संचित धनराशि पर आयकर लगाये जाने सम्बन्धी विन्दु पर अध्यक्ष द्वारा इस प्रकरण पर साड़ा एवं अन्य प्राधिकरणों से सम्पर्क स्थापित करते हुए आयकर छूट हेतु उचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में आई०टी०ए०टी० दिल्ली में अपील दर्ज करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

प्राधिकरण की 53 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.11.2011 को परिचालन विधि से आयोजित की गयी थी। इस कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि
53 वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

प्राधिकरण की 53 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.11.2011 की अनुपालन आख्या :—

मद संख्या	विषय	निर्णय	अनुपालन
53.मद संख्या-1	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011, उत्तराखण्ड को हरिद्वार विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या 2009/V-2011-55(आ०)/2006-टी०सी०, आवास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून दिनांक 17.11.11 द्वारा प्राप्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 उत्तराखण्ड को विकास प्राधिकरण के बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उत्तर भवन उपविधि का स्थानीय परिशिष्ट एवं आवश्यकताओं को वृस्तिगत यदि कोई सुझाव एवं परिषकार अपेक्षित हों तो बोर्ड की संस्तुति सहित शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाने के निर्देश हैं। भवन उपविधि/विनियम-2011 प्राधिकरण की 53वीं बोर्ड बैठक में अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन विधि से अनुमोदित।	निर्णय के अनुपालन में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 उत्तराखण्ड को दिनांक 30.11.11 को अंगीकृत कर लागू किया जा चुका है। अतः प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

प्राधिकरण की 54 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09.04.2012 को परिचालन विधि से आयोजित की गयी थी। इस कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि

54 वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

प्राधिकरण की 54 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09.04.2012 की अनुपालन आख्या :-

मद संख्या	विषय	निर्णय	अनुपालन
54.मद संख्या-1	डा० डी०क० श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री वैद्यनाथ प्रसाद आदि द्वारा ग्राम वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश के खसरा नम्बर-९१(क) मि० जिसका भू-उपयोग कार्यालय है, में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	डा०डी०क० श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री वैद्यनाथ आदि द्वारा ग्राम वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश के खसरा सं० ७१(क) मि० में स्थित भूखण्ड पर जिसका भू-उपयोग ऋषिकेश महायोजना भाग (ब) के अनुसार कार्यालय (G) के अन्तर्गत है, में आवासीय निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था चूंकि महायोजना की जोनिंग रेग्लेशन के अनुसार उक्त भू-उपयोग में आवासीय निर्माण प्राधिकरण सभा द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य किये जाने के कम से प्रश्नात प्रकरण को प्राधिकरण बोर्ड की ५१ बैठक के मद संख्या ५१(०४) पर विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय उपरान्त प्रश्नात प्रकरण को सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्राधिकरण की ५२वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-५२(०७) पर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रश्नात प्रकरण को प्राधिकरण के स्पष्ट संतुति/अभिमत सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अवगत कराना है कि प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्देश के कम में मानचित्र का तकनीकी रूप से परीक्षण किया गया। आवेदक का भू-स्थानित स्पष्ट है। आवासीय के रूप में प्रस्तुत मानचित्र संशोधित भवन उपविधि-२००७ के प्रावधानों के अनुसार सही पाया गया है। जोकि स्वीकृति योग्य है। प्रश्नात स्थल के सामने सिंचाई विभाग की आवासीय कालोनी निर्मित है तथा स्थल के आस-पास पूर्व से ही आवासीय/आश्रम भवन निर्मित है। चूंकि उक्त स्थल का भू-उपयोग कार्यालय (G) के अन्तर्गत है। उक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत महायोजना की जोनिंग रेग्लेशन के अनुसार आवासीय भवन का निर्माण विशेष परिस्थितियों में विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमतित भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य है। अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के सम्मा परिचालन विधि से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	निर्णय के अनुपालन में डा०डी०क० श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री वैद्यनाथ का मानचित्र स्वीकृत किया जा चुका है। अतः प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किया जाता है।

मद संख्या-55(1)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2012-13 का प्रस्तावित आय-चालक

वित्तीय वर्ष 2011-12 का वास्तविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित आय-व्ययक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-						
	Actual	Actual	Actual	Proposed	(Rs. In lac)	
Opening Balance	2008-09 2219.79	2009-10 2771.88	2010-2011 3363.22	2011-12 3000.02	2011-12 3000.02	2012-13 3790.38
A Revenue Income						
1 Interest on investments	90.34	111.38	162.09	140.00	205.44	210.00
2 Map Fee	100.63	152.56	52.72	65.00	89.10	100.00
3 Compound Fee	162.14	195.73	133.95	200.00	541.96	600.00
4 Supervision Fee	25.71	34.75	5.87	10.00	9.65	12.00
5 Other Income (Tender, Lease rent Etc.)	4.18	12.50	6.73	10.00	14.42	20.00
6 Development Fee	301.08	494.45	73.87	85.00	102.23	100.00
7 Land use conversion Fee	159.11	36.53	18.75	80.00	122.77	100.00
8 Ambaar Fee	17.71	25.72	3.84	5.00	6.01	6.00
9 Free hold Fee	3.69	32.37	136.98	150.00	144.65	60.00
10 Maintenance Fee of Harilok	5.59	2.22	2.87	10.00	6.05	10.00
11 Haritama Fee	35.42	51.44	7.68	10.00	12.03	12.00
12 Sale of Broucher	3.60	0.00	0.00	5.00	1.29	5.00
A Total Revenue Income	909.20	1149.65	605.35	770.00	1255.60	1235.00

[Signature]
Secretary

S
Vice Chairman

b

STATEMENT OF EXPENDITURE							Chairman/Commissioner
B	Capital Income						
1	Rishikot Scheme	0.64	1.44	0.40	2.00	4.81	1.00
2	Shivlok scheme	5.59	2.77	2.97	3.00	2.02	2.00
3	Harilok scheme	6.24	11.27	12.27	15.00	8.48	8.00
4	Shyamlok scheme	5.19	3.57	62.69	5.00	11.77	5.00
5	Ashrav Yojana	5.29	8.39	4.47	7.00	6.06	10.00
6	Transport Nagar, Haridwar	139.86	162.27	116.73	1500.00	444.65	1700.00
7	Indra Lok Scheme -1	742.84	142.72	358.21	1000.00	210.00	1000.00
8	Indra Lok Scheme - 2	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
9	NEW Scheme	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
10	Loan (HUDCO & other financial inst.)	0.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	1500.00
11	Recovery from staff for HBA & car loan etc.	0.79	0.53	0.41	0.50	0.12	0.50
12	Deposit work (AKM, MLA Nidhi Etc.)	0.00	548.95	19.25	30.00	0.00	5.00
13	Return from S.L.A.O. (Harilok-2)	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
Total Capital Income		906.44	881.91	747.40	5662.50	687.91	5731.50
Total Income (A+B)		1815.64	2031.56	1352.75	6432.50	1943.51	6966.50
Total Income including Opening balance		4035.43	4803.44	4715.97	9432.52	4943.53	10756.88
A Revenue Expenditure							
1-	Establishment						
(i)	Staff salary & allowances	94.10	103.19	164.70	200.00	184.65	225.00
(ii)	T.A. bill	0.51	0.86	0.73	2.00	1.05	2.00
(iii)	Encashment /Pension Anshdan	0.00	2.59	0.37	10.00	0.00	15.00
(iv)	Honorarium	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
(vi)	Medical re-imbursement	0.07	0.25	2.95	6.00	2.18	6.00
Total (A)		94.68	106.89	168.75	218.50	187.88	248.50
B							
2-	Office / Misc. Expenditure						
(i)	Postage	0.19	0.20	0.17	0.50	0.25	0.50
(ii)	Stationary	2.63	2.34	1.99	3.00	1.85	3.00
(iii)	Office maintanace	12.50	22.53	8.76	20.00	6.36	20.00
(iv)	Chairman office maintanace	1.08	2.20	1.98	3.00	1.43	3.00
(v)	Telephone Expenditure.	1.43	1.76	1.87	3.00	1.21	3.00
(vi)	Library	0.00	0.07	0.06	0.50	0.04	0.50
(vii)	Leagal Expenditure.	5.21	15.68	29.43	50.00	26.60	50.00
(viii)	Atithi Satkar	0.69	0.76	0.59	2.00	0.78	2.00
(ix)	Printing	1.41	0.68	0.98	3.00	2.67	3.00
(x)	Advertisement	11.08	12.92	9.35	15.00	14.92	20.00
(xi)	Audit Fee	10.00	9.20	0.00	30.00	8.51	25.00
(xii)	Misc. Expenditure	2.06	4.00	4.39	5.00	4.61	6.00

[Signature]
Secretary

Vice Chairman

[Signature]
Chairman/Commissioner

(xiii)	Employee Welfare	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
(xiv)	Maintenance Of Machines	0.00	0.14	0.35	2.00	0.41	2.00
(xv)	Maintenance of Electricity	2.12	1.97	2.07	3.00	2.92	3.00
(xvi)	Discretionary	0.39	0.75	2.00	5.00	0.00	5.00
(xvii)	Temp. Advance.	1.61	-0.06	19.51	1.00	0.57	1.00
(xviii)	Computer Maintenance	0.62	2.64	2.11	4.00	3.75	5.00
(xix)	Transfer of ambar Fee	0.00	0.00	5.43	5.00	0.00	5.00
(xx)	Maintenance In Harilok	6.91	18.93	8.10	15.00	13.59	8.00
(xxi)	F.B.T. & Other Tex	83.31	26.42	0.00	100.00	5.57	10.00
(xxii)	Total (B)	143.24	123.13	99.14	271.00	96.04	281.00
C							
3-	Vehicle						
(i)	Maintenance	3.93	5.89	4.55	6.00	4.82	7.00
(ii)	Petrol / Diesel	9.46	12.78	12.06	15.00	7.43	12.00
	Total (C)	13.39	18.67	16.61	21.00	12.25	19.00
D							
4-	Advance to Employee						
(i)	Vehicle	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
(ii)	H.B.A	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	5.00
	Total (D)	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	8.00
E							
5-	Master Plan	0.58	0.21	2.17	10.00	1.94	30.00
	Total (E)	0.58	0.21	2.17	10.00	1.94	30.00
	Total Revenue exp..(A+B+C+D+E)	251.89	248.90	286.67	529.50	299.11	586.50
A	Capital Exp.						
1	Purchase of Vehicle / Machine	9.69	0.00	6.16	8.08	0.00	10.00
2	Purchase of Computer.	6.40	1.92	0.26	3.00	1.12	3.00
3	Furniture / fixture	3.45	4.11	1.82	5.00	1.07	5.00
	Total (A)	19.54	6.03	8.24	16.00	2.19	18.00
B							
5	Purchase of Land						
(i)	For New Scheme	0.00	0.00	0.00	2000.00	6.31	2000.00
	Total(B)	0.00	0.00	0.00	2000.00	6.31	2000.00
C							
6	Deveiopment/ const Works in Schemes						
(i)	Shivlok Scheme	0.00	0.00	0.90	2.00	0.00	1.00
(ii)	Shyamlok Scheme	1.16	0.10	0.00	2.00	0.00	1.00
(iii)	Harilok Scheme	0.00	0.00	555.20	0.00	0.00	7.00

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

(iv)	Repayment of loan	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	250.00
(v)	Interest, on Loan	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	40.00
(vi)	Consultancy / Training Etc.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
(vii)	Infrast. Devt. Fund Works	672.20	300.57	376.03	1000.00	666.43	750.00
(viii)	Deposit Works /kumb mela 2010	0.00	198.15	264.44	10.00	0.17	5.00
(ix)	Haritama / Plantation	8.13	9.25	6.95	40.00	28.24	25.00
(x)	Transport. Naga Scheme	262.11	391.46	82.58	150.00	6.81	60.00
(xi)	BHEL Rehab Scheme	0.54	20.09	5.89	300.00	88.55	150.00
(xii)	Indra Lok Scheme- 1	406.27	265.67	96.70	1000.00	47.12	1000.00
(xiii)	Indra Lok Scheme - 2	0.00	0.00	53.22	900.00	2.31	1000.00
(xiv)	NEW Scheme	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00
(xv)	Board fund	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	75.00
	Total (C)	1350.41	1185.29	1441.91	3594.00	845.54	3474.00
	Total Capital Expenditure	1369.95	1191.32	1450.15	5610.00	854.04	5492.00
	Total Expenditure	1621.84	1440.22	1736.82	6139.50	1153.15	6078.50
	Closing Balance	2413.59	3363.22	2979.15	3293.02	3790.38	4678.38

मद संख्या-55(02)

हरिद्वार महायोजना भाग (अ) के अधीन निर्धारित भू-उपयोग में विकास शुल्क की दरों के सम्बन्ध में।

शहरी विकास/अवास अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 4697/V/शवि०-आ०-२००४-८०(सा०)/२००३ दिनांक 19.10.2004 द्वारा आवासीय न्यून धनत्व हेतु ₹0. 75.00 आवासीय मध्य धनत्व हेतु ₹0. 55.00, आवासीय उच्च धनत्व हेतु ₹0. 35.00 प्रति वर्ग मीटर कवर्ड क्षेत्रफल हेतु दरें निर्धारित हैं। हरिद्वार महायोजना-2001 (भाग-अ) में आवासीय उच्च धनत्व (आर-2), आवासीय उच्च धनता (आर-1), वर्तमान निर्भित क्षेत्र (बी-1), ग्रामीण आवादी (बी-2) भू-उपयोग परिभाषित किया गया है। शासन की प्रभावी दरों के अनुसार आवासीय उच्च धनत्व (आर-2) हेतु ₹0. 75.00, आवासीय उच्च धनता (आर-1) हेतु ₹0. 55.00, वर्तमान निर्भित क्षेत्र (बी-1) एवं आवादी (बी-2) के लिए ₹0. 35.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से विकास शुल्क लिया जा रहा था। शासन द्वारा लागू हरिद्वार महायोजना-2025 में आवासीय तथा आवासीय सघन निर्धारित किया गया है।

अतः शासनादेश के अनुसार आवासीय के लिए ₹0. 75.00 तथा आवासीय मध्य धनत्व एवं आवासीय उच्च धनत्व जिसे वर्तमान महायोजना में आवासीय सघन में सम्मिलित कर लिया गया है, के लिए ₹0. 55.00 प्रति वर्ग मीटर अर्थात् शासनादेश के अनुसार आवासीय मध्य धनत्व हेतु निश्चित दर के अनुसार लागू किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

17

55(02) हरिद्वार महायोजना भाग (अ) के अधीन निर्धारित भू-उपयोग में विकास शुल्क की दरों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से शासनादेश के अनुसार आवासीय के लिए ₹0. 75.00 तथा आवासीय सघन हेतु ₹0. 55.00 की दर से लागू किये जाने हेतु अंगीकृत/अनुमोदित किया गया।

55(03) पर्यवेक्षण शुल्क की दरों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से शासनादेश के अनुसार पर्यवेक्षण शुल्क ₹0. 11.00 की दर से लागू किये जाने हेतु अंगीकृत/अनुमोदित किया गया।

55(04) हरिद्वार विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण सेवा संबंध के केन्द्रीयित तथा अकेन्द्रीयित अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पेशन दिये जाने की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उत्तरप्रदेश सरकार आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 की अधिसूचना सं-3850/आठ-5-11-10ई/11 लखनऊ दिनांक 11-11-2011 एवं अधिसूचना सं-3851/आठ-5-11-10ई/11 लखनऊ दिनांक 11-11-2011 द्वारा प्रदेश के समत्त विकास प्राधिकरणों में कार्यरत नियमित केन्द्रीयित तथा अकेन्द्रीयित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 2011 जारी की गयी है। उक्त नियमावलियों के तहत नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने पर अंशदायी पेशन सुविधा का लाभ प्रदान किया गया है। हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त नियमावलियों को लागू किये जाने हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया उक्त नियमावलियों के सम्बन्ध में विचार-विनाश हुआ। इूँकि अंशदायी पेशन योजना प्राधिकरण द्वारा देय प्राधिकरण अंशदायी से कर्मचारियों को पेशन जारी किये जाने का प्राविधिक नियमावली 2011 अंगीकृत हुए अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। अतः प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पेशन नियमावली 2011 अंगीकृत हुए अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

55(05) श्री विहारी लाल पुत्र स्व० श्री गागन दास द्वारा ऋषिकेश के खसरा सं-74/7 मि० जिसका भू-खण्ड क्षेत्रफल 159.00 वर्ग मी० है, पर किये गये निर्माण को जिसका भू-उपयोग कार्यालय (जी) के अन्तर्गत है, में व्यावसायिक /आवासीय निर्माण को शमन स्थीकृत किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रकरण पर वरिष्ठ नियोजक, ग्राम एवं नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड से विस्तृत परीक्षण कराते हुए स्पष्ट रूप से अधिकारी को विवरण दिया जाय।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner



मद संख्या—55(03)

पर्यवेक्षण शुल्क की दरों को संशोधित किरो जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम—1965 की धारा—92(2) तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा—41(1) के अधीन शासनादेश संख्या 146/9—आ—3—98—7 वि०/९८ दिनांक 22.01.1998 द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृति के समय पर्यवेक्षण शुल्क का निर्धारण करते हुए 100 वर्ग मीटर की दर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के लिए भवन के कुल तल क्षेत्रफल का रु० 5.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से लिए जाने की व्यवस्था है। शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा घोषित कास्ट इण्डेक्स के आधार पर उक्त दर को अध्यावधिक किया जाएगा। वर्ष 2010 की कास्ट इण्डेक्स 711 है। उक्त आधार पर पर्यवेक्षण शुल्क की दर रु० 10.74 अर्थात रु० 11.00 प्रति वर्ग मीटर आंगणित होती है।

अतः प्रस्ताव है कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण में भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु पर्यवेक्षण शुल्क रु० 11.00 वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल के लिए लागू किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या—55(04)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण सेवा संवर्ग के केन्द्रीयित तथा अकेन्द्रीयित अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पेंशन दिये जाने की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश सरकार आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 05 की अधिसूचना संख्या 3850/आठ-5-11-10ई/11 लखनऊ दिनांक 11.11.2011 एवं अधिसूचना संख्या 3851/आठ-5-11-10ई/11 लखनऊ दिनांक 11.11.11 द्वारा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में कार्यरत नियमित केन्द्रीयित तथा अकेन्द्रीयित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 2011 जारी की गयी है। उक्त नियमावलियों के तहत नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक या उसके पश्चात् सेवानिवृत्ति होने पर अंशदायी पेन्शन सुविधा का लाभ प्रदान किया गया है।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण में अभी तक प्राधिकरण सेवा संवर्ग के केन्द्रीयित तथा अकेन्द्रीयित अधिकारी/कर्मचारियों को उत्तराखण्ड शासन द्वारा अंशदायी पेन्शन सुविधा का लाभ नहीं दिया गया है जिसके अभाव में प्राधिकरण सेवा संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष इस आशय के साथ प्रस्तुत है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचनाओं को हरिद्वार विकास प्राधिकरण में यथावत् अंगीकृत करते हुए हरिद्वार विकास प्राधिकरण में लागू किये जाने हेतु उक्त नियमावलियां उत्तराखण्ड शासन, आवास विभाग, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

मद संख्या—55(05)

श्री बिहारी लाल पुत्र स्व० श्री गागन दास द्वारा ऋषिकेश के खसरा सं०-७४/७ मि० जिसका भू-खण्ड क्षेत्रफल 159.00 वर्ग मी० है, पर किये गये निर्माण को जिसका भू-उपयोग कार्यालय (G) के अन्तर्गत है, में व्यवसायिक/आवासीय निर्माण को शमन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि आवेदक श्री बिहारी लाल पुत्र स्व० श्री गागन दास द्वारा ऋषिकेश के खसरा सं०-७४/७ मि० जिसका क्षेत्रफल 159.00 वर्ग मी० है, पर प्राधिकरण की विना अनुमति के किये गये व्यवसायिक निर्माण को शमन किये जाने का अनुरोध किया गया है। किये गये निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण में वाद संख्या— नो०/ऋषि०/६३/२०१०-११ योजित एवं विचाराधीन है। आवेदक को उक्त सम्पत्ति चन्द्रभागा पुल ऋषिकेश से संयुक्त यात्रा वास स्टैण्ड पर मिलने वाले वाईपास निर्माण हेतु उनकी भूमि व दुकानों के अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रशासन द्वारा आवंटित की गई है जो उद्भरण खतौनी में दर्ज अभिलेख है तथा प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश द्वारा अपने पत्र संख्या 11/रीडर दिनाक 03.05.2008 द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का निर्विवाद/वाद रहित भूमि के क्षेत्रफल के अन्तर्गत होने का उल्लेख किया है। प्रश्नगत प्रकरण को प्राधिकरण बोर्ड की 52वीं बैठक के मद संख्या 52(6) पर विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय उपरान्त प्रश्नगत प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्राधिकरण की 55वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 55(5) पर विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग ऋषिकेश महायोजना भाग (ब) के अनुसार कार्यालय (G) के अन्तर्गत है। महायोजना की जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार कार्यालय भू-उपयोग में व्यवसायिक/आवासीय उपयोग का निर्माण विकास प्राधिकरण सभा द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमेनित किया जाता है क्योंकि प्रशासन द्वारा व्यवसायिक भू-उपयोग हेतु आवंटित है तथा ऋषिकेश महायोजना के अनुसार भू-उपयोग कार्यालय है, कार्यालय से व्यवसायिक निर्माण पर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत स्थल का भूखण्ड क्षेत्रफल 159.00 वर्ग मी० हैं। भवन उपविधि के अनुसार व्यवसायिक निर्माण हेतु न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल 125.00 वर्ग मी० होना आवश्यक है, जो अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

मद संख्या—55(06)

श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, प्राधिकरण अधिवक्ता (अनुबन्ध के आधार पर) के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण में विधिक कार्य के निस्तारण हेतु प्राधिकरण की 49वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16.09.2010 में प्राधिकरण अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, का पारिश्रमिक ₹ 10,000—00 से बढ़ाकर ₹ 15,000—00 प्रतिमाह किया गया था।

श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, प्राधिकरण अधिवक्ता द्वारा पारिश्रमिक दरें ₹ 15,000—00 से बढ़ाकर ₹ 20,000—00 प्रतिमाह किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः प्रस्ताव है कि कालान्तर में हुई महंगाई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इनका पारिश्रमिक ₹ 20,000—00 प्रतिमाह किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

55(06) श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, प्राधिकरण अधिवक्ता (अनुबन्ध के आधार पर) के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए अधिवक्ता का पारिश्रमिक ₹ 15000.00 से बढ़ाकर ₹ 20000.00 प्रतिमाह अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

55(07) प्राधिकरण गठन के पश्चात् विकसित अनाधिकृत कालोनियों जिनमें अधिकांशः भवन निर्मित हो चुके हैं में मानचित्र स्थीकृति/निर्मित भवनों को शमन किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि ऐसी अनाधिकृत कालोनियों का विस्तृत परीक्षण करते हुए उक्त कालोनियों से प्राप्त होने वाले विकास शुल्क/ शमन शुल्क से प्राप्त होने वाली आय एवं कालोनियों के आधारभूत विकास कार्यों पर होने वाले प्रस्तावित व्यायों की वास्तविक आंकलन करते हुए स्पष्ट वस्तुस्थिति एवं मन्तव्य सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

55(08) हरिद्वार महायोजना 2001 के अनुसार ऐसे क्षेत्र जिनका भू-उपयोग कृषि/गैर आवासीय था किन्तु हरिद्वार महायोजना-2025 में उक्त क्षेत्रों का भू-उपयोग आवासीय हो गया है, में वर्तमान भू-उपयोग के अनुसार मानचित्र स्थीकृत/निर्मित भवनों को शमन किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी तथा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

55(09) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद :-

1—श्रद्धा कैन्सर केयर ट्रस्ट द्वारा गंगा प्रेम हारियस निर्माण हेतु ग्राम गौरी माफी, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून के खसरा नं०—181 एम में स्थित भूमि (क्षेत्रफल 0.3850 हेक्टेयर), का भू-उपयोग परिवर्तन शासन से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत निर्माण गंगा नदी तट से 200 मीटर परिधि के अन्तर्गत है जिस पर शासनादेश सं०—320/9—आ०—3—2000—127/काम्य/99 आदास अनुमान—3 दिनांक 05 फरवरी, 2000 के मैरा 3 में स्पष्ट है कि

Sedretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner



मद संख्या-55(07)

प्राधिकरण गठन के पश्चात् विकसित अनाधिकृत कालोनियाँ जिनमें अधिकांशः भवन निर्मित हो चुके हैं में मानवित्र स्वीकृति/निर्मित भवनों को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण गठन के पश्चात् कुछ अनाधिकृत रूप से कालोनियाँ विकसित हुई दिसमें वर्तमान में कल्पी संख्या में भवनों का निर्माण हो चुका है। ऐसी विकसित कालोनियाँ को जिनका की भू-उपयोग आवासीय था में से प्राक्षिक्षण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में 15 कालोनियाँ को नियमित किया जा चुका है। शेष कालोनियाँ का भू-उपयोग और आवासीय होने की काल्पन उड़हें नियमित नहीं किय जा सका था तथा इन कालोनियाँ के विलङ्घ अनाधिकृत रूप से विकसित करने का दाद विदारालैन है में यह निर्देश दिये गये थे कि आगामी हरिद्वार महायोजना-2025 में उक्त कालोनियाँ हेतु दर्शित भू-उपयोग के अनुसार कार्यवाही की जाय। अवगत कराना है कि हरिद्वार महायोजना-2025 माह नवम्बर 2011 से लागू है। हरिद्वार महायोजना में ऐसी अनाधिकृत संघर्ष से विकसित कालोनियाँ जिनका भू-उपयोग आवासीय सघन आवादी है तथा इन कालोनियाँ में बड़ी संख्या में भवनों का निर्माण कर निवास के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तथा आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का कार्य भी अच्छ बिनार्थ द्वारा कराया जा चुका है। चूंकि हरिद्वार महायोजना में उक्त क्षेत्र सघन आवादी के रूप में दर्शित है तथा वडे पैमाने पर भवनों का निर्माण कार्य उसमें निवास भी किया जा सकता है। बिल्कुल कारण इसे हटाया जाना भी सम्भव प्रतीत नहीं होता है तथा उनसे कोई राजस्व भी नहीं प्राप्त हुआ है। अतः यदि इन क्षेत्रों में विकल्प मूख्यण्डों/भवनों पर मानवित्र स्वीकृति/शमन की कार्यवाही की जाती है तो जन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्राधिकरण को राजस्व की भी प्राप्ति होंगी।

अतः प्रस्ताव है कि उक्त कालोनियों के विचाराधीन वादों को निरस्त मानते हुए इन कालोनियों में स्थित मूख्यण्ड/भवनों का मानवित्र स्वीकृत/शमन करने की कार्यवाही हरिद्वार महायोजना-2025 में दर्शित भू-उपयोग के अनुसार किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या—55(08)

हरिद्वार महायोजना 2001 के अनुसार ऐसे क्षेत्र जिनका की भू-उपयोग कृषि / गैर आवासीय था किन्तु हरिद्वार महायोजना—2025 में उक्त क्षेत्रों का भू-उपयोग आवासीय हो गया है में वर्तमान भू-उपयोग के अनुसार मानचित्र स्वीकृत / निर्मित भवनों को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि हरिद्वार महायोजना—2001 में ऐसे अनेक क्षेत्र थे जिनका की भू-उपयोग तत्समय कृषि अथवा गैर आवासीय था परन्तु हरिद्वार महायोजना 2025 के अनुसार उक्त क्षेत्रों का उपयोग आवासीय हो गया है। ऐसे आवासीय क्षेत्रों में जहाँ पर नियमानुसार पंहुच मार्ग एवं अवस्थापना सुविधाएँ नियमानुसार उपलब्ध हैं वहाँ पर भू-उपयोग के अनुसार मानचित्र स्वीकृत तथा निर्मित भवनों को शमन की कार्यवाही की जा सकती है ऐसा करने से अनाधिकृत रूप से हो रहे निर्माण / विकास कार्य को रोका भी जा सकता है तथा मानचित्र स्वीकृत / शमन करने में प्राधिकरण को राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

अतः प्रस्ताव है कि ऐसे आवासीय क्षेत्र जहाँ पर आवश्यक पंहुच मार्ग एवं अवस्थापना सुविधाएँ उपलब्ध हैं में नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति एवं निर्मित भवनों को शमन करने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अन्य विषय, अध्यक्ष की अनुमति से-

विषय: श्रद्धा कैन्सर केयर ट्रस्ट द्वारा गंगा प्रेम हास्पिस निर्माण हेतु ग्राम गोरी माफी, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून के खसरा नं०-181 एम में स्थित भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.3850 हैक्टर है का भू-उपयोग कृषि से पर्यटन (टी0आर0) में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

श्रद्धा कैयर कैन्सर ट्रस्ट द्वारा ग्राम गोरी माफी, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून के खसरा नं०-181 एम में स्थित भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.3850 हैक्टर है का पर गंगा प्रेम हास्पिस के नाम से कैन्सर हास्पिस के निर्माण हेतु प्रस्ताव दिया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग ऋषिकेश महायोजना के अनुसार पी-05 (कृषि हरित पट्टिका) में प्रदर्शित है। संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि हास्पिस निर्माण का अर्थ है कि एक ऐसा आश्रम जिसमें कि प्रसमन चिकित्सा एवं आच्यात्मिक परामर्श से कैन्सर जैसे प्राण धातक रोग से पिछितों की देखभाल एवं कैन्सर पिछितों (मरणासन्न कैन्सर रोगी) को इस हास्पिस (आश्रम) अत्याधिक ठांडस देते हुये कम से कम पीड़ादायक अन्त / मृत्यु हेतु शान्तिमय वातावरण देने का प्रयास किया जाना है। हास्पिस की ओर से रोगीयों को निःशुल्क सेवाये दी जायेगी इसमें किसी प्रकार की सर्जरी नहीं होगी और न ही कोई अन्य प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा। हास्पिस में कैन्सर की आखिरी अवस्था के रोगियों की देखभाल भारतीय पारम्परिक ज्ञान पद्धतियों जैसे-ध्यान, चोग, आर्युर्वद, सिद्ध आदि द्वारा की जायेगी। गंगा प्रेम हास्पिस एक आश्रम होगा न की चिकित्सालय। उक्त से स्पष्ट है कि उक्त संस्था द्वारा प्रस्तावित गंगा प्रेम हास्पिस एक आश्रम की भौति कार्य करेगा।

उक्त के अनुसार आश्रम का निर्माण ऋषिकेश महायोजना भाग-ब के जोनिंग रेग्युलेशन के अनुसार पर्यटन भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य है। प्रश्नगत स्थल हरिद्वार ऋषिकेश मुख्य मार्ग से (सत्य नारायण मन्दिर के सामने से) लगभग 3.00 किमी की दूरी पर स्थित है तथा भूखण्ड के सामने 3.65 मीटर (12 फुट चौड़ा) मार्ग विद्यमान है तथा गंगा नदी से 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत स्थित है जिसमें शासनादेश के अनुसार मठ, मन्दिर आदि का निर्माण अनुमन्य है।

अतः प्रस्ताव है कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग कृषि से पर्यटन में करने तथा भूखण्ड के सामने आवश्यक 12.00 मीटर की चौड़ाई की पूर्ति आवेदक के भूखण्ड से करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

यदि क्षेत्र में सीवेज व्यवस्था नहीं है तो निवास स्थान/धर्मशाला आदि इन प्रयोजनों में अनुमन्य नहीं की जायेगी ताकि गंगा नदी में मल न जाने पाये।


चूंकि उक्त क्षेत्र में सीवेज व्यवस्था नहीं है, जिस पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को शासन को विचारार्थ भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

2-श्री राहुल मनचन्द्रा, श्री रोहित मनचन्द्रा पुत्र श्री गणन श्री महेन्द्र कुमार खत्री, श्रीमती गीता गोयल पल्लि श्री दिनेश गोयल एवं श्री रविन्द्र वालिया पुत्र स्व० श्री राजकुमार वालिया द्वारा ग्राम ज्यालापुर के खसरा नं०-218 व 286 राष्ट्रीय राजमार्ग-58 हरिद्वार रुड़की मार्ग पर स्थित है जिसका कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 8220.00 वर्ग मीटर है, पर होटल का मानचित्र स्थीकृत करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बैठक में विरतार से चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखण्ड से नियमों के अन्तर्गत परीक्षण करते हुए अपना मन्तव्य एवं स्पष्ट संस्तुति सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अन्त में उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, ह०पि०प्रा०/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी व अन्य पदेन सदस्यों को बोर्ड बैठक में प्रतिमाग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

४५
५

अन्य विषय, अध्यक्ष की अनुमति से-

विषय: श्री राहुल मनचन्दा, श्री दोहित मनचन्दा पत्र गणन श्री महेन्द्र कुमार खत्री, श्रीमती गीता गोयल पत्नि श्री दिनेश गोयल एवं श्री रविंद्र वालिया पत्र स्व० श्री राजकुमार वालिया द्वारा ग्रम ज्वालापुर के खसरा नं०- 218 व 286 राष्ट्रीय राजमार्ग-58 हरिद्वार रुडकी मार्ग पर स्थित है जिसका कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 8220.00 वर्ग मीटर है, पर होटल का मानवित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा होटल का मानवित्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-2025 के अनुसार महायोजना मार्ग 50 मीटर के मध्य से 25 मीटर की दूरी के पश्चात आवासीय के अन्तर्गत प्रदर्शित है। उक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत महायोजना के अध्याय 10 परिक्षेत्रीय विनियमन 10.3.1 (आवासीय) के अनुसार 18.00 मीटर चौड़े मार्ग पर 1500 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल में सामुदायिक भवन / होटल / निरीक्षण भवन / गेस्ट हाउस / व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि आवासीय क्षेत्र में अधिकतम् भू-आच्छादन क्षेत्रफल एवं ऐएआर. की सीमा तक अनुमन्य है। प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल 8220.00 वर्ग मीटर है जो होटल हेतु अनुमन्य क्षेत्रफल 1500.00 वर्ग मीटर से अधिक है।

प्राधिकरण बोर्ड / नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदन उपरान्त 1500.00 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर होटल / मॉल / लॉज / फिजियोथेरेपी सेंटर / जिम्नेजियम / व्यायामशाला / संसकृत विद्यालय / योग केन्द्र एवं प्राथमिक चिकित्सालय / आर्युवेदिक औषधालय / बैंक / प्रिन्टिंग प्रेस / बस स्टैण्ड / सिनेमा हॉल (छवि गृह) / फुटकर सामग्री का बाजार / घरेलु उपकरण के मरम्मत की दुकानें / स्थानीय निकाय / राज्य एवं केन्द्र सरकार एवं सार्वजनिक उपकरण के कार्यालय / मल शोधन केन्द्र / निकासी / जल शोधन केन्द्र / आवासीय उपयोग के अनुसांगीक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी भू-उपयोग के समतुल्य पायें जाये।

चूंकि उपरोक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत 1500.00 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल पर स्वीकृति प्राधिकरण सभा के अनुमोदन उपरान्त प्रदान की जा सकती है। अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ / विचारार्थ प्रस्तुत है।

Ph. No. 9917260024
9837901098

E-mail : mksssstdroorkee@gmail.com

ABAM2168HSD002
138 Dt. 4-1-2008

MHWAR KALAN SHAKARI SHARM SAMVIDA SAMITI LTD.

मेहवड़ कलाँ सहकारी श्रम सविंदा समिति लि०

(Security Services & Manpower Suppliers)

ROORKEE, Distt. Haridwar (Uttarakhand)

1548

Dated....11/6/2018

स्वाचित्, दर्तिकृत् - रुपकी नियम पापित्रण
(E.RSTK)

Sl. No.	PARTICULARS OF WORK	WORKING DAYS	Amount Rs. P.
	प्रोत्साहन भला कामालय में नाम्बर टाइको का		
1.	कम्प्रेसर आपरेट NO - 3 X 70 = 210 } 266 दिनांक 16.04.18 से 10.06.18 तक NO - 1 X 56 = 56 } 265	110 X 266 265	29260 = 20 29150
2.	सुरक्षा कमी NO - 10 X 70 = 700 } 868 दिनांक 16.04.18 से 10.06.18 तक NO - 3 X 56 = 168 } 865	110 X 868 865	95480 = 20 95150
3.	इवीपर NO - 3 X 70 = 210 } 266 दिनांक 16.04.18 से 10.06.18 तक NO - 1 X 56 = 56 } 265	110 X 266 265	29260 = 20 29150
4.	चपराई NO - 3 X 70 = 210	110 X 210	23100 = 20
5.	ट्राइवर NO. 1 X 31 = 31 (दिनांक 11.05.2018 से 10.06.2018 तक)	110 X 31	3410 = 20
			180510 = 20
			179960 = 00
	भुगतान किया		
	देयक का भुगतान रु०.....		
	चेक सं० १५७१९ दिनांक 14/6/18		
	दारा किया।		
	TOTAL		180510 = 20
			179960 = 00

E.&O.E. समाजिक उनाही १७११८ - ११८५४० २०१८/१९

Authorised Signatory
Mehwer Kalan Shakari Sharm Samvida Samiti Ltd.